

राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
आयुक्तालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालांना संस्थानिक क्षेत्र

क्रमांक एफ-1(1)(43)स्था/मअ/2008/ 66530

जयपुर दिनांक: 22.12.11

आदेश

राजस्थान महिला सेवा नियम, 2008 के नियम 6 में वर्णित प्रावधानानुसार राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा 2010 के परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर निम्नांकित सफल अभ्यर्थियों को कार्मिक (क-4/II) विभाग की अ. शा.टीप क्रमांक एफ. 7(7)डीओपी/ए-IV-II/2011 दिनांक 20-12-2011 के द्वारा इस विभाग को आवंटन किये जाने के फलस्वरूप इन्हें राजस्थान महिला विकास सेवा में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रम अधिकारी के रूप में दो वर्ष की कालावधि के लिए रूपये 16800/- प्रतिमाह के नियत पारिश्रमिक अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उनके सन्दर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13-3-2006 के अनुसार देय वेतन भत्तों पर उनके द्वारा उपस्थिति देने की संगत तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह संगत तिथि हरिशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में फाउण्डेशन कोर्स (प्रशिक्षण) के लिए रिपोर्ट करने की तिथि अथवा पूर्व में फाउण्डेशन कोर्स उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में इस विभाग को रिपोर्ट करने की तिथि होगी।

क्र.सं	मैरिट नं	रोल0नं0	अभ्यर्थी का नाम (सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती)	वर्ग (CTG2)	जन्मतिथि	विशेष विवरण
1	134	707145	विजयश्री चोटिया	GE, WE	15.8.1981	
2	196	704450	राकेश कुमार	GE	12.2.1981	
3	201	100352	अनिरुद्ध	GE	01.4.1987	
4	204	705260	जगदीश जाजू	GE	02.6.1975	
5	224	400986	प्रहलाद सिंह	GE, NG, RG	25.3.1972	
6	238	200758	महेन्द्र कुमार शर्मा	GE, RG	17.6.1977	
7	244	702752	अमित गुप्ता	GE	02.7.1984	
8	250	705447	शर्मा सूर्यप्रकाश	GE	23.12.1984	
9	257	703036	विप्लव न्यौला	GE, NG, RG	06.7.1976	
10	258	700166	महावीर सिंह	GE, RG	03.8.1982	
11	263	600066	संजय जोशी	GE, RG	11.1.1983	
12	275	400514	फरसारांम विश्णोई	BC, RG	10.7.1983	
13	279	100902	गंगाराम पूनिया	BC	06.8.1989	
14	285	705804	दिनेश चन्द्र मिश्रा	GE, RG	01.7.1979	
15	287	707444	विनिता शर्मा	GE, WE, RG	03.1.1974	
16	295	400480	अशोक कुमार गोयल	BC	10.7.1978	प्रोवीजनल
17	299	700851	कमल कान्त स्वामी	BC	20.12.1972	
18	300	701533	जितेन्द्र शर्मा	BC	21.8.1985	
19	305	300011	राजेन्द्र कुमार चौधरी	BC	25.10.1981	
20	315	400405	भागीरथ	BC, RG	02.10.1978	
21	320	300670	अनुराधा सक्सैना	GE, WE	13.9.1976	

22	331	200345	शैलेन्द्र सिंह	BC, NG, RG	05.12.1972	
23	333	707105	भानुप्रकाश यादव	BC, RG	20.4.1984	
24	339	400115	रश्मि कौशिश	GE, WE, RG	25.1.1975	
25	356	701562	राशि लोढा	GE, WE, RG	15.9.1982	
26	363	706887	कैलाश चन्द्र शर्मा	BC	01.7.1977	
27	376	300146	मैरिंगटन सोनी	GE, WE	15.5.1988	
28	651	701331	राजेश कुमार मीणा	ST	05.3.1986	
29	796	701076	मनोज कुमार मीणा	ST	20.1.1986	
30	910	702261	सुनीता कुमारी	BC, WE, LV, NG , RG	02.7.1977	
31	956	500314	युगल किशोर मीणा	ST	03.12.1975	
32	1099	300192	मेघा रतन	SC	04.12.1986	
33	1141	600508	देवानन्द	SC	02.7.1987	
34	1202	701826	रिषीराज सिंगल	SC	22.2.1978	
35	1268	700513	जगदीश प्रसाद	SC, RG	01.1.1980	
36	1277	700698	राकेश कुमार तंवर	SC	16.11.1983	
37	1320	300502	विजय कुमार	SC	01.7.1982	
38	1454	700472	सुनीता मीणा	ST, WE	26.3.1984	
39	1908	300113	शकुन्तला	BC, WE, WD	12.6.1981	प्रोवीजनल

1. उक्त नियुक्ति एवं सेवा आंवटन माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित स्पेशल अपील संख्या 18272-76/2008 और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में लम्बित याचिका संख्या 6744/2008 तथा 11200/2010 के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन प्रदान की जाती है।
2. क्रम संख्या 16 और 39 पर अंकित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन सम्बन्धी रिकार्ड प्राप्त नहीं होने के कारण उन्हें प्रोविजनल नियुक्ति प्रदान की जाती है। इनका चरित्र सत्यापन सही पाये जाने पर ही इनकी नियुक्ति वैध होगी।
3. इन अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वे ही हैं जो इन्होंने परीक्षा के अपने आवेदन पत्रों के प्रारूपों में उल्लेखित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।
4. यह प्रमाणित किया जाता है कि इन अभ्यर्थियों की नियुक्तियां राजस्थान महिला विकास सेवा नियम 2008 के नियम 6 के उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई है।
5. यह नियुक्तियां उपरोक्त सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों में अधिकथित निबन्धनों एवं शर्तों के अध्यक्षीन है।
6. सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग-पत्र दे देता है, या कोई अन्य नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि, साथ ही सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर उपगत व्यय की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करेंगे।
7. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-I अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।

8. जिन अभ्यर्थियों ने आधारभूत पाठ्यक्रम पहले से उत्तीर्ण कर लिया है, वे आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अंकतालिका रिपोर्टिंग के समय इस विभाग को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।
9. अभ्यर्थियों को दिनांक 27-12-2011 को प्रातः 9.30 बजे तक निश्चित रूप से हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में उपस्थित हो जाना चाहिए। अभ्यर्थियों के लिए हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर द्वारा तय छात्रावास में प्रशिक्षण के दौरान निवास करना अनिवार्य है। वे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले ही फाउण्डेशन कोर्स उत्तीर्ण कर लिया है, फाउण्डेशन कोर्स की अंकतालिका एवं लोक प्रशासन संस्थान जयपुर के प्रमाण पत्र के साथ दिनांक 27-12-2011 को पूर्वान्ह में इस विभाग में उपस्थिति दें।
10. उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उनके चरित्र प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा संतोषजनक पाये जाने के अधीन रहेंगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक प्रमाणित नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।
11. विवाहित अभ्यर्थियों को फाउण्डेशन कोर्स हेतु प्रशिक्षण संस्थान/विभाग में उपस्थिति के समय विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. उक्त अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी निश्चित तिथि से एक माह पश्चात भी रिपोर्ट नहीं करते हैं, तथा न ही कोई सूचना विभाग को भिजवाते हैं, तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।

(~~डॉ. सरिता सिंह~~)

आयुक्त एवं शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ-1(1)(43)स्था/मअ/2008/ 66531-596

जयपुर दिनांक: 22.12.2011

1. विशेषाधिकारी, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं महानिदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर को भेजकर आग्रह है कि अधिकारियों की उपस्थिति प्रतिवेदन एवं वांछित प्रमाण पत्र इस विभाग को भिजवाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का श्रम करें।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (क-4/II) विभाग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
8. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
9. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
10. वरि. निजी सहायक, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
11. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन शासन उप सचिव, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
12. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
13. आयुक्तालय, मअ के समस्त अधिकारीगण
14. प्रोग्रामर, मुख्यालय, आईसीडीएस, को विभागीय वेब साइट पर जारी करने हेतु।
15. संबंधित अधिकारी सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री
16. व्यक्तिगत/आदेश पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक, मअ